

न्यायालय: श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-760 / 2006
 संस्थित दिनांक-23.11.2006
 फाईलिंग क.234503000172006

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

1-कारु उर्फ योगराज पिता सुखराम, उम्र-37 वर्ष,
 निवासी-ग्राम भटेरा, थाना कोतवाली,
 जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

2-उम्मेद लिल्हारे पिता अन्तलाल लिल्हारे, उम्र-41 वर्ष,
 निवासी-ग्राम भटेरा, थाना कोतवाली,
 जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

3-चमन पिता अन्तराम लोधी, उम्र-40 वर्ष,
 निवासी-ग्राम भटेरा, थाना कोतवाली,
 जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

4-बड़ा पटेल उर्फ तेजराम पिता गोविन्द, उम्र-47 वर्ष,
 निवासी-ग्राम भटेरा, थाना कोतवाली,
 जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

5-हंसराज पिता अंतलाल लिल्हारे, उम्र-50 वर्ष,
 निवासी-ग्राम भटेरा, थाना कोतवाली,
 जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

6-ब्रम्हानंद उर्फ परमानंद पिता झनकलाल, उम्र-42 वर्ष,
 निवासी-ग्राम भटेरा, थाना कोतवाली,
 जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

----- **आरोपीगण**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-04/08/2016 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-147, 294, 323/149, 506 भाग-2 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-01.06.2003 को करीब 1:30 बजे आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत ग्राम कुर्सीटोला के किनारे डोरा पंचायत में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए, बलवा करने का सामान्य आशय बनाकर फरियादी सज्जनलाल कावरे को बल या हिंसा करने के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर, फरियादी सज्जनलाल

कावरे को उसके प्राण हर लेने के आशय से सामान्य आशय के अग्रसरण में सार्वजनिक स्थान पर ऐसा जानते हुए कि यह जमाव विधि विरुद्ध है के सदस्य रहते हुए बल व हिंसा कारित कर, फरियादी सज्जनलाल कावरे व उसके साथी अरुण, इन्द्रसिंह को सार्वजनिक स्थान व उसके समीप माँ-बहन के अश्लील शब्द उच्चारण कर उन्हें व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, फरियादी सज्जन कावरे व उसके साथ अरुण, इन्द्रसिंह को हाथ-लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया तथा फरियादी सज्जन कावरे व उसके साथ अरुण, इन्द्रसिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित करने का आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता सज्जन कावरे ने दिनांक-01.06.2003 को पुलिस थाना रूपझर आकर यह लिखित शिकायत प्रस्तुत की वह जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है। दिन में लगभग 1:30 बजे बालाघाट के विधायक कंकर मुजारे एवं जनता पार्टी के महामंत्री इन्द्रसिंह कोडवेती एवं कार्यकर्ता अरुण कुमार ग्राम कुर्सीटोला तालाब के भूमि पूजन के लिये गए थे। मौके पर 10-15 अन्य लोग उपस्थित थे, जिसमें रंजर श्री धुरिया भी उपस्थित थे। उसी समय ग्राम भटेरा का उम्मेद लिल्हारे, कारो लोधी, हंसराज लोधी, बरमानन्द लोधी, बांडा पटेल, चमन लोधी ने मौके पर आकर विधायक कंकर मुजारे व अन्य लोगों को माँ-बहन की अश्लील गालियां दी और जान से मारने की धमकी देकर कहा कि वे लोग उन लोगों को भूमिपूजन नहीं करने देंगे। उम्मेद लिल्हारे ने विधायक कंकर मुजारे के सिर पर लाठी से मारी जो उसने पकड़ ली। अन्य लोगों ने भी मारपीट की। आरोपी हंसराज ने लाठी से, उम्मेद लिल्हारे ने डण्डे से मारपीट की थी। आरोपीगण ने एकराय होकर फरियादीगण के साथ मारपीट की एवं उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उपरोक्त लिखित शिकायत के आधार पर आरक्षी केन्द्र कोतवाली, जिला बालाघाट में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-0/03, भारतीय दण्ड संहिता की धारा-147, 148, 149, 323, 294, 506 बी का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जिसे असल नंबर पर थाना रूपझर, जिला बालाघाट में अपराध क्रमांक-139/03 में दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-147, 323/149, 294, 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में

बचाव साक्ष्य देना पेश किया, परंतु बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-01.06.2003 को करीब 1:30 बजे आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत ग्राम कुर्सीटोला के किनारे डोरा पंचायत में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए, बलवा करने का सामान्य आशय बनाकर फरियादी सज्जनलाल कावरे को बल या हिंसा करने के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सज्जनलाल कावरे को उसके प्राण हर लेने के आशय से सामान्य आशय के अग्रसरण में सार्वजनिक स्थान पर ऐसा जानते हुए कि यह जमाव विधि विरुद्ध है के सदस्य रहते हुए बल व हिंसा कारित की ?
3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य होते हुए सज्जनलाल कावरे व उसके साथी अरुण, इन्द्रसिंह को सार्वजनिक स्थान व उसके समीप मॉ-बहन के अश्लील शब्द उच्चारण कर उन्हें व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित की ?
4. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होते हुए सज्जन कावरे व उसके साथ अरुण, इन्द्रसिंह को हाथ-लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ?
5. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य होते हुए सज्जन कावरे व उसके साथ अरुण, इन्द्रसिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित करने का आपराधिक अभिप्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु क मांक-1 का निष्कर्ष :-

5— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी सज्जनलाल कावरे (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। वह कंकर मुंजारे के साथ भूमि पूजन करने ग्राम कुर्सीटोला गया था। जहां गांव के लोग इकट्ठे हुये थे। जैसे ही मुजारे भूमि पूजन करने के लिए आगे गया, तो एक व्यक्ति जिसका मुंह ढंका हुआ था, ने आकर कहा कि मुंजारे भूमि पूजन नहीं कर सकता। एक व्यक्ति ने मुजारे को सिर पर लाठी मारी और उसके बीच-बचाव करने पर उस व्यक्ति ने उसके सिर पर लाठी मारी। इसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। घटना कारित करते समय सभी लोग मुंह ढंके हुए थे, इसलिए वह उन लोगों को नहीं पहचानता। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने पुलिस को यह बात बता दी थी कि घटना के समय एक व्यक्ति मुंह ढंके हुए था, उसने मुंजारे को सिर पर लाठी

मारी थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि सभी लोग मुंह ढंके हुए थे, उसने यह बात बताई थी, उल्लेखनीय है कि उपरोक्त बात साक्षी के पुलिस कथन में लेख नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 की रिपोर्ट कंकर मुंजारे के कहने पर लेख कराई थी। इस प्रकार फरियादी साक्षी सज्जनलाल कावरे (अ.सा.1) के द्वारा न तो आरोपीगण की संख्या के विषय में और न ही उनकी पहचान के बारे में अपने न्यायालयीन परीक्षण में कुछ कहा गया है।

6— इन्द्रसिंह (अ.सा.5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना वर्ष 2003 की है। वह तात्कालीन विधायक कंकर मुंजारे के साथ तालाब निर्माण के भूमि पूजन करने के लिए गया था। मौके पर आरोपी उम्मेद लिल्हारे, कारू, हंसराज, चमन व अन्य 10-15 लोग मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे और उन्हें जान से मारने की तैयारी में थे। आरोपी उम्मेद लिल्हारे, कारू, चमन, हंसराज और तीन-चार लोग ने विधायक के सिर पर लाठी से वार किया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि लोगों ने मुंह पर कपड़ा बांधा था, यह बात साक्षी ने अपने पुलिस कथन में बता दी थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि एक व्यक्ति जो मुंह ढंके हुए था ने विधायक के सिर पर लाठी मारी थी और इसके बाद वहां भगदड़ मच गई थी।

7— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी सुरबसिंह (अ.सा.9) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना 5-6 वर्ष पुरानी है। घटना के समय गांव के तालाब में भूमिपूजन हो रहा था तभी पूजा करने कंकर मुंजारे व अन्य 2-3 लोग पहुंचे। पूजा के बाद कंकर मुंजारे एवं गांव के लोगो का झगड़ा होने लगा था। आरोपीगण द्वारा झगड़ा किया गया था व आरोपीगण द्वारा विधि विरुद्ध जमाव किया गया था, यह बात साक्षी ने नहीं की है। साक्षी ने आरोपीगण के नाम व संख्या अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट नहीं की है।

8— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी कंकर मुंजारे (अ.सा.11) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना जून वर्ष 2003 की है। घटना दिनांक को वह कुर्सीटोला ग्राम में तालाब के भूमिपूजन हेतु गया था, तभी उम्मेद लिल्हारे, हंसराज, योगराज उर्फ कारू, चमन, परमानंद, सुरेश दमाहे, कुल 12-13 लोगों ने भूमि पूजन करने से रोका। घटना के समय आरोपी उम्मेद ने पीछे से उसके सिर पर वार किया, जिससे उसे चोट आई थी। आरोपी उम्मेद लिल्हारे, हंसराज के हाथ में डण्डा, तलवार व कुल्हाड़ी थी।

9— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी प्रेमसिंह (अ.सा.12) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को उम्मेद को पहचानता है, शेष आरोपी को नहीं

पहचानता। घटना दिनांक को तालाब में विधायक कंकर मुंजारे भूमिपूजन कर रहा था, तब भटेरा गांव के किसी व्यक्ति ने उन्हें लाठी मारी थी, जिसका वह नाम नहीं जानता। इस साक्षी ने भी सभी आरोपीगण के नाम तथा उनकी संख्या अपने न्यायालयीन परीक्षण में स्पष्ट रूप से नहीं की है।

10— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी अरुण (अ.सा.14) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना वर्ष 2003 की है। आरोपीगण ने भूमिपूजन के समय हमला किया था, जिससे उसके सिर पर चोट आई थी। घटना में कंकर मुंजारे व अन्य लोगों को भी चोट आई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कहा है कि घटना के समय आरोपीगण ने अश्लील गालियां देकर विधायक कंकर मुंजारे के साथ मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने घटना के पश्चात् आरोपीगण की पहचान की कार्यवाही नहीं की थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि कंकर मुंजारे एवं उम्मेद लिल्हारे की आपस में राजनैतिक रंजिश है।

11— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी उमेश तिवारी (अ.सा.17) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह थाना रूपझर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् था। उसने थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक-0/03, अंतर्गत धारा-147, 148, 149, 294, 323, 506 भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 संलग्न आवेदन प्रदर्श पी-1 के आधार पर थाना रूपझर में असल क्रमांक-139/03 अंतर्गत धारा-147, 148, 149, 294, 323, 506बी भा.द.वि. आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी-19 दर्ज की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने गवाहों के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था तथा घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-20 तैयार किया था।

12— उपरोक्त अभियोजन साक्षियों के अतिरिक्त साक्षी जी.पी. धुरिया (अ.सा.15) ने कहा है कि वह आरोपीगण का नहीं पहचानता। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन साक्षी हन्ना लिल्हारे (अ.सा.6), केशव प्रसाद (अ.सा.7), रूपसिंह (अ.सा.8) ने कहा है कि उन्हें घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। आरोपीगण तथा फरियादी के बीच क्या हुआ था, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने कहा है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ मारपीट करने वाली बात उन्होंने पुलिस को नहीं बताई थी। उपरोक्त अभियोजन साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी हन्ना लिल्हारे (अ.सा.6), केशव (अ.सा.7), रूपसिंह (अ.सा.8) ने अपना पुलिस कथन क्रमशः प्रदर्श पी-3, 4 व 5 पुलिस को नहीं लेख कराया जाना व्यक्त किया।

13— अभियोजन साक्षी सज्जनसिंह कावरे (अ.सा.1) ने कहा है कि घटना दिनांक को विधायक कंकर मुंजारे के साथ भूमि पूजन हेतु ग्राम कुर्सीटोला गया था, जहां पर एक व्यक्ति जिसने मुंह ढंका हुआ था, ने कंकर मुंजारे को भूमि पूजन से रोका था और एक व्यक्ति ने पीछे से कंकर मुंजारे को लाठी मारी थी। साक्षी सोनेलाल (अ.सा.2) ने कहा है कि भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुंजारे और उम्मेद लिल्हारे आपस में आपस में एक दूसरे पर दौड़ रहे थे। फिर वह घटनास्थल से भाग गया था। इसी आशय का कथन अभियोजन साक्षी थानसिंह बनोटे (अ.सा.3) एवं प्रेमलाल (अ.सा.4) ने कहा है कि कंकर मुंजारे व आरोपी उम्मेद लिल्हारे के मध्य विवाद हुआ था। उपरोक्त अभियोजन साक्षियों द्वारा यह नहीं कहा गया है कि उपरोक्त घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी पक्ष के साथ लाठी से मारपीट की थी, यदि समस्त अभियोजन साक्षियों के कथनों पर विचार करें तो यह बात प्रकट हो रही है कि गांव के भूमि पूजन के समय गांव के बहुत से लोग मौके पर उपस्थित थे। प्रकरण में फरियादी सज्जनलाल कावरे ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहा है कि घटना के समय कुछ लोग मुंह पर कपड़ा बांधे खड़े थे, जिनके द्वारा मारपीट की गई थी। शेष अभियोजन साक्षियों द्वारा सभी आरोपीगण की पहचान को लेकर तथा उनकी संख्या को लेकर प्रमाणिक साक्ष्य नहीं दी गई है। अभियोजन साक्षी कंकर मुंजारे (अ.सा.11) ने अवश्य आरोपीगण के नाम तथा उनकी संख्या के विषय में अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है, शेष अभियोजन साक्षी जो मौके पर उपस्थित थे एवं चक्षुदर्शी साक्षी उन्होंने सभी आरोपीगण की पहचान तथा उनकी संख्या को लेकर विरोधाभासी कथन किये हैं। आरोपीगण की पहचान की कार्यवाही भी पुलिस द्वारा नहीं कराई गई है, इसलिए यदि मौके पर गांव की भीड़ इकट्ठी थी और विवाद हुआ था तो आरोपीगण द्वारा विधिविरुद्ध जमाव किया गया था और हिंसा कारित की गई थी, को प्रमाणित करने के लिए आरोपीगण की स्पष्ट पहचान एवं उनकी पांच से अधिक की संख्या के विषय में संदेह से परे अभियोजन को प्रमाणित करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-147 का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। अतः आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-147 में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु कमांक-5 का निष्कर्ष :-

14— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी सज्जनसिंह कावरे (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने के विषय में कोई कथन नहीं किये है। अभियोजन साक्षी सोनेलाल (अ.सा.2), थानसिंह बनोटे (अ.सा.3), प्रेमलाल (अ.सा. 4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में आरोपीगण द्वारा फरियादी पक्ष को जान से मारने की धमकी देने व आपराधिक अभित्रास कारित किये जाने के विषय में कोई कथन नहीं किये है।

इन्द्रमणी (अ.सा.5) ने यह कहा है कि आरोपीगण उसे जान से मारने की तैयारी में थे, क्योंकि आरोपीगण लाठी, तलवार व देशी कट्टा लिये हुए थे। इस साक्षी के कथनों से यह प्रतीत होता है कि साक्षी को यह आशंका थी कि आरोपीगण उसे जान से मार देंगे, परंतु वस्तुतः आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था, यह बात अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हो रही है।

15— अभियोजन साक्षी हन्ना लिल्हारे (अ.सा.6), साक्षी केशवप्रसाद (अ.सा.7), रूपसिंह (अ.सा.8) ने इस प्रकार का कथन नहीं किया है कि आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी कंकर मुंजारे (अ.सा.11) के मुख्यपरीक्षण पर विचार किया जो तो उसने भी अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि आरोपी उम्मेद व हंसराज के हाथ में डण्डा तलवार व कुल्हाड़ी थी। आरोपीगण उसे जान से मारने चाहते थे, परंतु गांव वालों के बीच-बचाव के कारण आरोपीगण उसके साथ और मारपीट नहीं कर पाए। इस प्रकार साक्षी के कथनों से आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाने और उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया जाना प्रकट नहीं हो रहा है। साक्षी प्रेमसिंह (अ.सा.12), अरूण (अ.सा.14) ने कहा है कि आरोपीगण ने जाने से मारने की धमकी दी थी, परंतु धमकी सुनकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित हुआ था, यह बात साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं हो रही है। शेष अभियोजन साक्षियों के कथनों से ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हो रहे हैं, जिससे कि आरोपीगण द्वारा फरियादी पक्ष को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया। ऐसी स्थिति में आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। अतः आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क मांक-3 का निष्कर्ष :-

16— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी सज्जनसिंह कावरे (अ.सा.1) ने आरोपीगण द्वारा अश्लील गालियां दिए जाने के विषय में कोई कथन नहीं किया है। साक्षी सोनेलाल (अ.सा.2), थानसिंह बनोटे (अ.सा.3), प्रेमलाल (अ.सा.4), हन्ना लिल्हारे (अ.सा.6), केशवप्रसाद (अ.सा.7), रूपसिंह (अ.सा.8), सुरबसिंह (अ.सा.9), ओमकार (अ.सा.10) के कथनों में आरोपीगण द्वारा अश्लील गालियां दी जाने के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। अभियोजन साक्षी इन्द्रसिंह (अ.सा.5) ने कहा है कि आरोपीगण द्वारा माँ-बहन की गाली, तेरी माँ को चोदू की गाली दी गई थी, जो उसे सुनने में बुरी लगी थी। साक्षी कंकर मुंजारे ने (अ.सा.11) मुख्यपरीक्षण में यह कहा है कि आरोपीगण ने उसे साले मादरचोद व माँ-बहन की गाली दी थी जो उसे सुनने में बुरी लगी थी। उपरोक्त साक्षी इन्द्रसिंह (अ.सा.5) तथा कंकर मुंजारे ने आरोपीगण द्वारा अश्लील गालियां उच्चारित किये जाने एवं अश्लील गालियां सुनकर

बुरा लगने वाली बात अपने न्यायालयीन परीक्षण में की है, परंतु किस आरोपी ने कौन सी गाली दी है यह बात उपरोक्त साक्षियों ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट नहीं की है। अभियोजन द्वारा जिन साक्षियों का परीक्षण कराया गया है उनके परीक्षण से यह प्रकट हो रहा है कि घटना के समय मौके पर गांव वाले तथा अनेक लोग उपस्थित थे, इसलिए जब तक अभियोजन द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं किया जाता कि किस आरोपी ने कौन सी गाली दी थी जो कि सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ हो, तब तक सभी आरोपीगण को इस धारा के अंतर्गत दोषी मान लेना उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मौके पर उपस्थित शेष अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों ने आरोपीगण द्वारा अश्लील गालियां दी जाने के विषय में कोई भी कथन नहीं किया है। साक्षी प्रेमलाल (अ.सा.12) ने कहा है कि मौके पर आपस में झगड़ा होने लगा तब वह भाग गया था। साक्षी अरुण (अ.सा.14) ने भी अश्लील गालियां दिए जाने के विषय में अपने मुख्यपरीक्षण में कोई कथन नहीं किये हैं। साक्षी जी.पी. धुरिया (अ.सा.15) ने भी आरोपीगण द्वारा अश्लील गालियां दी जाने के विषय में कोई कथन नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में इस बात का उल्लेख है कि मौके पर वन विभाग के कर्मचारी जी.पी. धुरिया (अ.सा.15) उपस्थित थे और उनके द्वारा समस्त घटना देखी गई थी। जी.पी. धूरिया (अ.सा.15) को अभियोजन द्वारा पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उपरोक्त स्थिति में आरोपीगण द्वारा अश्लील गालियां दिया जाकर क्षोभ कारित किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता। ऐसी स्थिति में आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। अतः आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 व 4 का निष्कर्ष :-

17- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी सज्जनसिंह कावरे (अ.सा.1) ने कहा है कि घटना दिनांक को जब भूमि पूजन हो रहा था, तभी गांव के कई लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें से किसी एक व्यक्ति ने विधायक कंकर मुंजारे को पीछे से सिर पर लाठी मारी थी। उसने बीच-बचाव किया तो उसे भी पीछे से सिर पर लाठी मारी थी। इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बालाघाट में लिखित आवेदन देकर दर्ज कराई गई थी, लिखित आवेदन प्रदर्श पी-1 है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। घटना कारित करते समय सभी लोग मुंह पर कपड़ा ढांके हुए थे, इसलिए उन लोगों को वह नहीं पहचान पाया था। अभियोजन साक्षी कंकर मुंजारे ने कहा है कि आरोपी उम्मेद लिहारे और उसके भाई हंसराज ने लाठी से वार किया था, जिसके कारण उसके सिर व कंधे पर चोट आई थी। आरोपी उम्मेद लिहारे तथा हंसराज के हाथ में डण्डा, तलवार तथा कुल्हाड़ी थी।

इसके पश्चात् साक्षी कंकर मुंजारे ने कहा है कि गांव वालों के बीच-बचाव करने के कारण आरोपीगण उसके साथ और मारपीट नहीं कर पाए थे। साक्षी प्रेमसिंह ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि घटना के समय कंकर मुंजारे भूमि पूजन कर रहे थे, तभी भटेरा वाले आए और लाठी मार दी थी, किन आरोपीगण ने लाठी मारी थी, यह बात साक्षी ने स्पष्ट नहीं की है।

18— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी उमेश तिवारी (अ.सा.17) का कहना है कि दिनांक-02.06.2003 को थाना रूपझर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना कोतवाली बालाघाट से आरक्षक अच्छेलाल झारिया द्वारा थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक-0/03, धारा-147, 148, 149, 294, 323, 506बी भा.द.वि. की प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-2 संलग्न आवेदन प्रदर्श पी-1 प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटनास्थल थाना रूपझर के अंतर्गत होने से असल नम्बर अपराध क्रमांक-139/03 अंतर्गत धारा-147, 148, 149, 294, 323, 506बी भा.द.वि. का आरोपी उमेदसिंह, कारू, हंसराज, परमानंद, बाण्डा पटेल, चमन व अन्य चार के विरुद्ध दर्ज किया था, प्रथम सूचना प्रदर्श पी-19 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने ओमकार धुर्वे की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-20 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षीगण के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि फरियादी सज्जनसिंह कावरे द्वारा थाना रूपझर आकर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी, उनके द्वारा थाना कोतवाली बालाघाट में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। घटनास्थल थाना रूपझर क्षेत्रांतर्गत था, तब फरियादी पक्ष द्वारा रूपझर थाने में तत्काल रिपोर्ट दर्ज न कराकर बालाघाट कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज क्यों कराई गई थी, इसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि घटना की रिपोर्ट व अन्य कार्यवाही उसने अपने मन से की थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने गवाहों के बयान अपने मन से लेख किये थे।

19— साक्षी जितेन्द्र बाहेशवर (अ.सा.14) ने कहा है कि वह दिनांक-15.01.2006 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। अपराध क्रमांक-139/03, धारा-147, 148, 149, 323, 294, 506बी की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने आरोपी उमेद लिलहारे से एक बांस की लाठी, आरोपी हंसराज से बांस की लाठी साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती प्रदर्श पी-9 व प्रदर्श पी-10 तैयार किया था, जिनके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-11 लगायत 16 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षीगण के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने एवं साक्षियों के बयान अपने मन से लेख किये थे।

20— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी डॉक्टर विजय गांधी (अ.सा.13) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-01.06.2003 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना कोतवाली के आरक्षक धानेश्वर गिरिया द्वारा आहत अरुण को परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर उसने आहत के सिर के सामने के हिस्से में बाईं तरफ फैली हुई सूजन तथा खरोंच पाई थी, बाएं हाथ में फैली हुई सूजन तथा खरोंच पाई थी। उसके मतानुसार आहत को आई चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो किसी कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी, जिन्हें ठीक होने में 3-5 दिन का समय लग सकता था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा आहत सज्जनसिंह को परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर उसने आहत के बाएं हाथ पर फैली हुई सूजन पाई थी। उसने आहत को एक्सरे की सलाह दी थी। उसने आहत के दाएं हाथ में कंटूजन पाया था, आहत के सिर के पीछे भाग पर फैली हुई सूजन पाई थी। उसके मतानुसार आहत को आई चोटों में चोट क्रमांक-1 के लिए उसके द्वारा एक्सरे कराने की सलाह दी थी। चोट क्रमांक-1 को छोड़कर सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो दो-तीन दिन के भीतर ठीक हो सकती थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा आहत इन्दलसिंह कुर्वेती को परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर उसने आहत के सीने के दाहिने तरफ खरोंच पाई थी, जिसका आकार अर्धचन्द्राकार सेप में था। उसने आहत को दंत चिकित्सक को दिखाने की सलाह दी थी। आहत को आई चोटें किसी कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत सज्जन कावरे को आई सिर के पिछले हिस्से की चोट, किसी पंडाल के पाईप से टकराने से आ सकती है तथा शेष चोटें गिरने से आ सकती हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आहत अरुण को आई चोटें गिरने से आ सकती हैं। साक्षी ने कहा है कि आहत इन्दलसिंह को आई चोटें कैसे आई थी, वह नहीं बता सकता। उसने आहत इन्दलसिंह को दंत चिकित्सक के पास रेफर किया था।

21— प्रकरण में चिकित्सक साक्षी डॉ. विजय गांधी (अ.सा.13) ने स्वीकार किया कि आहत सज्जनसिंह कावरे को जो चोट आई थी वह सिर के पिछले हिस्से में आई थी जो गिरने से भी आ सकती है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आहत अरुण को भी चोट गिरने से आ सकती थी। साक्षी इन्द्रमणी के विषय में उसने कहा है कि उसने उसे दंत चिकित्सक को रेफर किया था। प्रकरण में सज्जनसिंह कावरे जो प्रकरण में फरियादी हैं, उसका कहना है कि घटना के समय विवाद हुआ था, तब मुंह पर कपड़ा बांधकर कौन व्यक्ति आए थे, उन्हें वह नहीं पहचान पाया था, जिन्होंने मारपीट की थी। मौके पर उपस्थित

अन्य साक्षियों के कथनों पर यदि विचार करें तो साक्षी सोनेलाल (अ.सा.2) ने कहा है कि आरोपी उम्मेद व कंकर मुंजारे एक-दूसरे पर दौड़ रहे थे। साक्षी थानसिंह बनोटे (अ.सा.3) ने भी कहा है कि उम्मेद व कंकर मुंजारे का आपस में विवाद हुआ था, तब लोग वहां से चले गए थे। साक्षी इन्द्रसिंह (अ.सा.5) ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि सज्जनसिंह कावरे मौके पर था और उसने घटना देखी है, जबकि सज्जनसिंह कावरे ने इस बात से इंकार किया है कि उसने आरोपीगण को पहचाना था और आरोपीगण द्वारा ही मारपीट की गई थी। साक्षी इन्द्रसिंह (अ.सा.5) ने आरोपीगण से राजनैतिक विवाद होने की बात स्वीकार की है।

22— अभियोजन साक्षी हन्ना लिल्हारे (अ.सा.6), केशवप्रसाद (अ.सा.7), रूपसिंह (अ.सा.8) ने घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं होना व्यक्त किया है। साक्षी सुरबसिंह (अ.सा.9) ने कहा है कि कंकर मुंजारे के साथ भटेरा वालों का झगड़ा होने लगा था, क्या हुआ था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी कंकर मुंजारे ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहा है कि उसे घटना दिनांक को कार्यक्रम में विधायक होने के नाते बुलाया गया था और वह धुरिया रेंजर के आमंत्रण पर मौके पर गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि गांव वालों के बीच-बचाव के कारण आरोपीगण उसके साथ और मारपीट नहीं कर पाये थे। साक्षी ने कहा है कि उसने अपनी चोटों का ईलाज बालाघाट में डॉक्टर अग्रवाल से करवाया था। उल्लेखनीय है कि आहत कंकर मुंजारे का चिकित्सीय परीक्षण डॉक्टर विजय गांधी (अ.सा.13) ने नहीं किया है। साक्षी प्रेमसिंह (अ.सा.12) ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहा है कि भटेरा वाले आए थे, जिनने कंकर मुंजारे को लाठी मारी थी, जब झगड़ा होने लगा था, तब वह भाग गया था। प्रकरण में अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि मौके पर शासकीय सेवक जे.पी. धुरिया (अ.सा.15) जो तत्कालीन समय में वन विभाग में रेंजर के पद पर पदस्थ था। साक्षी जे.पी. धुरिया (अ.सा.15) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता। विधायक कंकर मुंजारे को नहीं पहचानता, उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।

23— घटना के विषय में प्रस्तुत लिखित शिकायत प्रदर्श पी-1 थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 थाना रूपझर में असल कायमी की प्रथम सूचना रिपोर्ट 19 का अवलोकन किया जावे तो उपरोक्त सभी दस्तावेजों में इस बात का उल्लेख है कि फरियादी पक्ष पर जब मारपीट अथवा हमला किया गया था, उस समय मौके पर अभियोजन साक्षी जी.पी. धुरिया (अ.सा.15) मौके पर उपस्थित था और संपूर्ण घटना उसके द्वारा देखी गई थी। प्रकरण में यह बात भी विचारणीय है कि जिन आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण चिकित्सक साक्षी डॉ. गांधी (अ.सा.13) ने किया है उनके साथ आरोपीगण द्वारा की गई मारपीट के विषय में अभियोजन साक्षियों द्वारा कथन नहीं किये गए हैं, मात्र कंकर मुंजारे

के साथ मारपीट होने की बात साक्षीगण द्वारा कही गई है। आहत सज्जनसिंह कावरे, अरूण, इन्द्रसिंह के विषय में आरोपीगण द्वारा स्वेच्छया मारपीट किये जाने का उल्लेख अथवा विवरण अभियोजन साक्षियों द्वारा नगण्य रूप से किया गया है। अभिलेख पर आरोपीगण तथा फरियादी पक्ष के बीच राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता एवं विवाद होना भी प्रकट हो रहा है, जिससे की रंजिशवश झूठी रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की संभावना से पूर्णतः इंकार नहीं किया जा सकता। आरोपीगण को संदेह का लाभ दिया जाना उपरोक्त स्थिति में उचित होगा। ऐसी स्थिति में आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/149 का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। अतः आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/149 में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

24— प्रकरण में आरोपीगण अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

25— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

26— प्रकरण में जप्तशुदा दो नग लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

**निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।**

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

**बैहर,
दिनांक-04.08.2016**

**(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट**